राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(डी–289) अलेसे–I/491-495 दिनांकः– 20/06/23

आदेश

पुलिस अधीक्षक–प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक भ्रनिब्यूरो/अशा/3/2022/2556–58 दिनांक 21.07.2022 द्वारा श्री दिनेश कुमार सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। (लिंक नं. 4498) कार्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर को 5,000/– रुपये बतौर रिश्वत की मांग कर प्राप्त करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर द्वारा दिनांक 20.07.2022 को कार्यवाही कर गिरफ्तार करने एवं श्री सोनी को पुलिस अभिरक्षा में लिये जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 291/2022 दिनांक 21.07.2022 प्रस्तुत करने के फलस्वरूप राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियमों के नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री दिनेश कुमार सोनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–। को गिरफ्तारी दिनांक 20.07.2022 से विभागीय आदेश क्रमांक 649 दिनांक 27.07.2022 के द्वारा निलम्बित किया गया था।

श्री सोनी को निलम्बित हुए 6 माह से अधिक की अवधि पूर्ण हो चुकी है। श्री सोनी द्वारा निर्वाह भत्ता बढाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम के नियम 53(1) के अनुसरण में श्री दिनेश कुमार सोनी, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–।(निलम्बित) को पूर्व में स्वीकृत निर्वाह भत्ते में 50% की अभिवृद्धि किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(डी–289) अलेसे–I/491-495 दिनांकः– 20/06/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 कोषाधिकारी, सिरोही।
2 श्री दिनेश कुमार सोनी, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–।(निलम्बित), मुख्यालय–कोषाधिकारी, सिरोही।
3 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4 उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5 अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्मिक–।
6 गार्ड फाईल/पदस्थापन शीट।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)